



Neutral Citation No.- 2026:AHC:127970

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20739/2026

छिंगे ठाकुर @ देव सिंह

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपरीत
पक्ष

आवेदक के वकील
विपक्षी पार्टी के वकील

: शिव कुमार सिंह
: जी ए

न्यायालय संख्या - 45

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति।

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. यह जमानत याचिका आवेदक को केस क्राइम नंबर 24/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986, पुलिस स्टेशन- सकरार, जिला- झांसी में जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि उसके खिलाफ गैंग चार्ट में चार मामले दर्ज हैं और सभी मामलों में वह जमानत पर है। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी देवसिंह उर्फ झिंगे को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 18534/2023 में दिनांक 20.9.2023 को पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

5. उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन एफआईआर में, आवेदक के विरुद्ध सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या इसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप अस्पष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत "गिरोह" और "गुंडा" की परिभाषा में आने वाले किसी कृत्य या चूक से संबंधित आरोप के अभाव में कोई एफआईआर मान्य नहीं है। इस मामले में, एफआईआर लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या ऐसे तथ्यों की खोज पर, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।

6. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने, नागरिकों को परेशान करने या डराने-धमकाने या समझौता करने के लिए एवं राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।

7. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने, प्रशंसा पाने या सरकार या सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया है, जो कि अनुचित है।

8. उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वह अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत पर रहते हुए आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा और न ही वह किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

9. आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस मामले में 10.4.2026 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है, तो वह कानून से भाग जाएगा या वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होगा, साथ ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

10. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत मिलने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

11. माननीय अटॉर्नी जनरल ने जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि गिरोह संबंधी मामलों में आवेदक जमानत पर है। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने का आदी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--

(a) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है और

(b) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

13. यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैने रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य, गिरोह-चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

14. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713 में, कई निर्णयों में यह माना गया कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता अपने सुरक्षात्मक दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता को बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित सुनवाई को भी शामिल करती है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय लिया गया कि विचाराधीन कैदियों को मुकदमे की सुनवाई तक अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणामों का सामना नहीं करना चाहिए जब तक कि वे किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के समक्ष सिद्ध न हो जाएं। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण, जहां प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने और मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान संभावित अपराधी को रिहा किए जाने की स्थिति में समाज को होने वाले जोखिम को कम करने के लिए, न्यायालयों को यह तय करना होता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और आरोपी काफी समय तक कारावास में रह चुका है, तो न्यायालय आमतौर पर उन्हें जमानत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

पर रिहा करने के लिए बाध्य होते हैं।

15. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश और सर्वोच्च न्यायालय के दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2018) 3 एससीसी 22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम के मामलों में दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए...**सीबीआई और अन्य बनाम एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 5191 ऑफ 2021 में पारित**मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

16. उपरोक्त अपराध में अभियोक्ता छिंगे ठाकुर उर्फ देव सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो भी उद्घोषणा जारी की जा सकती है। ऐसी घोषणा में निर्धारित तिथि पर, निचली अदालत धारा 174-ए आईपीसी/209 बीएनएस के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि ट्रायल कोर्ट की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो ट्रायल कोर्ट ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान ट्रायल जज को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

Translated, Corrected & Authenticated by me.

NIKHIL TANDON
A/N0339/2012

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"